

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, पंचम ब्लॉक, पंचम तल, जे०एल०एन०मार्ग, जयपुर

Email-rajsmsaraa@gmail.com

फोन नं.-0141-2703544

क्रमांक : प. /रास्कूशिप/जय/RAA/ पीएम श्री दिशा निर्देश/2025-26/

दिनांक :

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान पीएमश्री दिशानिर्देश 2025-26

पृष्ठभूमि :

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान भारत सरकार का चरणबद्ध बहुआयामी कार्यक्रम है, जिसका शुभारम्भ भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा 09 जुलाई 2015 को किया गया। पीएम श्री योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत विद्यालयों में NEP-2020 में अभिलिखित समस्त आधारभूत सुविधाओं और शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए अनुदान स्वीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान गतिविधि के अन्तर्गत चयनित कुल 628 पीएमश्री विद्यालयों में अध्ययनरत विज्ञान और गणित के विद्यार्थियों को लक्षित किया गया है।

आज विश्व स्तर पर शिक्षा में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार मुख्य अभियान के रूप में उभर रहे हैं। उच्चतर शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों का विकास हो रहा है, जिसमें सरकारी व गैर सरकारी दोनों प्रकार के संस्थान शामिल हैं। इस विकासात्मक कदम के तहत भविष्य में विद्यार्थियों का वैज्ञानिक नवाचार की ओर ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है। इसी क्रम में विद्यालयों में वैज्ञानिक गतिविधियों का विस्तार, प्रौद्योगिकी खोज एवं नवाचारों हेतु वातावरण तैयार किया जाना है।

विद्यालय आधारित ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन में अनुसरण एवं विज्ञान, गणित की सार्थक गतिविधियों व आनन्ददायी शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नवाचार और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग हेतु शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अन्तर्दृष्टि और रचनात्मकता के साथ विज्ञान, गणित एवं प्रौद्योगिकी में अभिरुचि विकसित करना, विज्ञान, गणित में रुचि लेने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में उपलब्ध तकनीक के प्रभावी उपयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना तथा आवश्यक सहयोग देकर अकादमिक उत्कृष्टता व अनुसंधान विधा को बढ़ावा देना है।



कार्यक्रम के उद्देश्य :

- विद्यालय व कक्षा-कक्ष में सम्प्रेषण विधा के साथ कक्षा कक्ष के सीमित वातावरण से परे विज्ञान, गणित व तकनीकी उपलब्धताओं जैसे प्रौद्योगिकी अवलोकन द्वारा सीखने के अवसरों को उपलब्ध कराना।
- विद्यार्थियों को वैज्ञानिक अन्वेषण के अवसर उपलब्ध करवाना ताकि वैज्ञानिक सोच एवं अन्वेषण प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जा सके।
- विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी को विद्यार्थियों के लिए रोमांचक बनाना, उन्हें खोज के लिए प्रोत्साहित करना एवं विद्यालय के अन्दर व बाहर की गतिविधियों का समन्वयन कर प्रभावी गतिविधि आधारित अध्ययन पर बल देना।
- विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अन्तर्दृष्टि, विज्ञान एवं गणित विषय में अभिरूचि, जिज्ञासा व समझ विकसित करना।
- विद्यार्थियों को विज्ञान, तकनीकी, इंजिनियरिंग व गणित (STEM) में सक्षम बनने के लिए प्रेरित करना एवं उन्हें इन विषयों से जोड़ना जिससे इन्हें अवलोकन, प्रयोग द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचना, मॉडल निर्माण, तर्कशक्ति का विकास, जांच परीक्षा इत्यादि हेतु सक्षम बनाया जा सके।
- प्रत्येक विद्यार्थी में वैज्ञानिक व्यवहार एवं वैज्ञानिक संस्कृति का उद्भव करना।
- विद्यार्थियों में विज्ञान, गणित व प्रौद्योगिकी को सीखने के लिए जिज्ञासा, उत्साह व अन्वेषण का माहौल तैयार करना।
- विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक विधा से सोचने, आविष्कार करने, प्रयोग कर सीखने की विधा को विकसित करना।
- विद्यार्थियों को विज्ञान व गणित का अध्ययन करवाकर सीखने का उपयुक्त वातावरण तैयार कर, सीखने के उच्चतम स्तर को प्राप्त कराना।

बजट प्रावधान

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 2025-26 के तहत कार्यक्रम के विस्तार हेतु 79 पीएमश्री उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए कुल राशि 36.52 लाख रुपये एवम् 549 पीएमश्री उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 450.20 लाख रुपये का प्रावधान है।

{ PMSHRI Elementary School }

तालिका संख्या- 1

(राशि रू. लाख में)

क्र.सं.	गतिविधि	Physical	Unit Cost in lac	बजट प्रावध	क्रियान्वयन का स्तर
1.	विज्ञान सर्कल का गठन	144 सर्कल	0.05	7.20	विद्यालय स्तर पर
2.	गणित सर्कल का गठन	144 सर्कल	0.05	7.20	विद्यालय स्तर पर
3.	एक्सपोजर विजिट (79 X 30)	2370 विद्यार्थी	0.005	11.85	विद्यालय स्तर पर
4.	विज्ञान मेला एवं विज्ञान गणित प्रश्नोत्तरी	79 विद्यालय	0.10	7.90	विद्यालय स्तर पर
5.	STEM DIY Kit	79 विद्यालय	0.03	2.37	विद्यालय स्तर पर
कुल योग				36.52	

{ PMSHRI Secodary School }

तालिका संख्या- 2

(राशि रू. लाख में)

क्र.सं.	गतिविधि	Physical	Unit Cost in lac	बजट प्रावध	क्रियान्वयन का स्तर
1.	विज्ञान सर्कल का गठन	1757 सर्कल	0.05	87.85	विद्यालय स्तर पर
2.	गणित सर्कल का गठन	1757 सर्कल	0.05	87.85	विद्यालय स्तर पर
3.	एक्सपोजर विजिट (549 X 50)	27450 विद्यार्थी	0.005	137.25	विद्यालय स्तर पर
4.	राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात शिक्षाविद / विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन / परामर्श	549 विद्यालय	0.05	27.45	विद्यालय स्तर पर
5.	अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात शिक्षाविद / विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन / परामर्श विद्यालय	549 विद्यालय	0.10	54.90	विद्यालय स्तर पर
6.	विज्ञान मेला एवं विज्ञान गणित प्रश्नोत्तरी	549 विद्यालय	0.10	54.90	विद्यालय स्तर पर
कुल योग				450.20	

विज्ञान एवं गणित सर्कल

विज्ञान और गणित सर्कल से तात्पर्य कक्षा 6–12 वर्ग के विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह या मण्डल से है जो छात्रों के लिए अपने वैज्ञानिक कौशल, ज्ञान का एहसास करने और विज्ञान की गतिविधियों को करने में अपनी खोज को पूरा करने, गणित की जटिल गणनाओं को सरलतम रूप में प्रस्तुत करने तथा संख्यात्मक योग्यताओं को विकसित करने के लिए एक बेहतर मंच है, जिसके लिए उन्हें पाठ्यक्रम के दायरे में अवसर नहीं मिलते हैं। विज्ञान एवं गणित की गतिविधियों को एक मंच पर विद्यार्थी अपने विचारों एवं अनुभवों को साझा करेंगे तो उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विषयों के प्रति रुचि एवं गहरी समझ विकसित होगी।

इन सर्कल में सहभागी एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इन समूहों का अंतिम लक्ष्य सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों में सुधार लाना है।

विज्ञान एवं गणित सर्कल का गठन:—

- 1 विज्ञान एवं गणित सर्कल का गठन 79 पीएमश्री उच्च प्राथमिक विद्यालयों व 549 पीएमश्री उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किया जाएगा। **(परिशिष्ट अ तथा ब के अनुसार)**
- 2 विज्ञान एवं गणित सर्कल में विद्यालय के कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी सदस्य होंगे।
- 3 एक विज्ञान एवं गणित सर्कल में 25 या उससे अधिक विद्यार्थी सम्मिलित होंगे।
- 4 79 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6–8 के विद्यार्थियों के लिए नामांकन के आधार पर गणित एवं विज्ञान सर्कल का गठन किया जाना है। पीएमश्री उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अधिकतम 02 गणित तथा 02 विज्ञान सर्कल का प्रावधान है।
- 5 कला/वाणिज्य/कला-वाणिज्य संकाय के 234 विद्यालयों में कक्षा 6–10 हेतु अधिकतम 03 गणित व 03 विज्ञान सर्कल का गठन किया जाएगा।
- 6 विज्ञान संकाय के 315 विद्यालयों में निम्नानुसार गणित एवं विज्ञान सर्कल का गठन किया जाएगा :—
 - कक्षा 6–10 के लिए 03 विज्ञान एवं 03 गणित सर्कल प्रति विद्यालय।
 - विज्ञान संकाय विद्यालयों में 300 नामांकन तक 03 विज्ञान एवं 03 गणित सर्कल
 - 300 से अधिक नामांकन पर प्रत्येक 100 नामांकन पर 01 विज्ञान एवं 1 गणित सर्कल का गठन किया जाएगा। **अधिकतम प्रति विद्यालय 15 विज्ञान तथा 15 गणित सर्कलों** का गठन किया जा सकेगा।

विज्ञान एवं गणित सर्कल के अंतर्गत विद्यार्थियों से निम्न गतिविधियाँ करवायी जायेंगी—

1. सर्कल की स्थापना के प्रथम वर्ष में विज्ञान सर्कल का बैनर बनवाया जायेगा। जिसका डिजाइन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा प्रेषित कर दिया जायेगा।
2. विद्यालय की विज्ञान लैब में एक सॉफ्ट बोर्ड लगवाया जाये जिस पर विद्यार्थी द्वारा विज्ञान से संबंधित नवीनतम समाचार एवं जानकारीयाँ प्रदर्शित की जायें। Pin up soft Notice Board कम से कम 4'x3' Feet आकार का, यदि पूर्व में नहीं खरीदा हो।
3. महीने के अंतिम शनिवार को व्याख्यान, वाद-विवाद, सेमीनार, संगोष्ठी आदि का आयोजन किया जाये। माह के अंतिम शनिवार को प्रत्येक कक्षा वर्ग 6–8, 9–10 एवं 11–12 में माह की औसत उपलब्धि के आधार पर प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर पुरस्कृत किया जाए।

4. मेंटर टीचर द्वारा विद्यालयों के समस्त छात्रों के समक्ष विज्ञान एवं गणित किट के उपकरणों का प्रदर्शन किया जाये।
5. 15 अक्टूबर को डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर विद्यालय में (15 अक्टूबर को अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में आयोजन किया जाये) प्रत्येक कक्षा के स्तर के अनुसार कम से कम 3 मॉडल एवं चार्ट विज्ञान एवं गणित विषय के अध्यापक द्वारा तैयार करवाये जायें।
6. गणित एवं विज्ञान विषय पर लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाए।
7. गणित एवं विज्ञान विषय की लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 3 चरणों में दो-दो महीने के अंतराल में आयोजित करवायी जाये। प्रत्येक चरण में गणित एवं विज्ञान के 4-4 विद्यार्थियों का चयन होगा। अंतिम चरण में कुल 12 गणित तथा 12 विज्ञान सर्कल से चयनित विद्यार्थियों की Quiz प्रतियोगिता आयोजित की जाये। जिसमें विजेता टीम को पारितोषिक प्रदान किया जाये।
8. मेंटोर शिक्षक द्वारा विज्ञान एवं गणित गतिविधि आधारित कार्यक्रम करवाना। प्रयोगशाला में गणित एवं विज्ञान किट का उपयोग करते हुए गणित एवं विज्ञान के छोटे-छोटे संप्रत्ययों का गतिविधि आधारित अधिगम करवाना। जैसे सरल लोलक की सहायता से आवृत्ति की परिभाषा स्पष्ट करना, ग्राफ पर किसी आकृति को रख कर उसका लगभग क्षेत्रफल निकलवाना। चार्ट पर फूल का चित्र बनाकर उसे नामांकित करवाना। उपकरण पहचान करवाना। लेजर लाईट से प्रकाशीय प्रयोग। इसी प्रकार पाठ्यक्रम आधारित छोटी-छोटी गतिविधियों को प्रयोगशाला में जमाकर विद्यार्थियों के समूह बनाकर प्रत्येक गतिविधि को करने को प्रेरित करें तथा गतिविधि में क्या करना है व गतिविधि आधारित प्रश्न कागज पर लिख कर गतिविधि के पास रखें। समूह गतिविधि के निष्कर्ष डायरी में संधारित करें। प्रत्येक समूह दी गई किसी एक गतिविधि को सभी के समक्ष समूह प्रस्तुत करेगा। उचित दिवस का चयन कर कम से कम 2 बार यह कार्यक्रम किया जाय। (यह गतिविधि जुलाई से नवंबर तक पूर्ण कर ली जाये)
9. विद्यालय के परिक्षेत्र या गांव में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, वृक्षारोपण, Single Use Plastic का उपयोग नहीं करने एवं स्वच्छता के महत्व को दर्शाने वाले नारे लिखवाकर विद्यार्थियों की रैली निकलवायी जाये। यह रैली अगस्त माह तक आयोजित की जाये।
10. **रामानुजन जयन्ती 22 दिसम्बर** के दिन विज्ञान एवं गणित संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करवाना।
11. विज्ञान से संबंधित परियोजनाओं का संचालन तथा सर्कल द्वारा जिला स्तरीय विज्ञान मेले में भाग लेने हेतु तैयारी की जायेगी।
12. विद्यालय के आसपास विद्यार्थियों के लिए गणित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई ज्ञानवर्धक स्थल है, तो उसका भ्रमण करवाया जाए।

क्रियान्वयन

1. विद्यालय में गठित विज्ञान एवं गणित सर्कल हेतु राशि रुपये 5000/- प्रति सर्कल अनुमोदित है। इस राशि में से 4000 रुपये विद्यालयों को गतिविधियों पर व्यय हेतु दिये जायेंगे। शेष राशि विज्ञान, गणित एवं तकनीकी को बढ़ावा देने के लिये दिशा-निर्देश पुस्तिकाएं, फोल्डर, फ्लैक्स शीट आदि पर व्यय किये जायेंगे।

2. राशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये यथासम्भव दिसम्बर 2025 तक राशि का उपयोग कर यू.सी ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से अति. जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित की जाये।
3. गणित सर्कल के गणित एवं विज्ञान सर्कल के लिए विज्ञान शिक्षक को मेन्टोर/प्रभारी शिक्षक नियुक्त किया जाए।
4. ऐसे विद्यालय जिनमें विज्ञान संकाय संचालित है उनमें नामांकन के आधार पर विज्ञान वर्ग के व्याख्याता को मेन्टोर/प्रभारी शिक्षण नियुक्त किया जा सकेगा।
5. पीएमश्री विद्यालयों में अधिकतम तीन सर्कलों पर एक मेन्टोर/प्रभारी शिक्षक नियुक्त किया जाए।
6. पीएमश्री विद्यालय में गणित व विज्ञान सर्कल हेतु गणित एवम् विज्ञान शिक्षक को मेन्टोर शिक्षक नियुक्त किया जाए। गणित व विज्ञान शिक्षक नहीं होने की स्थिति में अन्य शिक्षक, जो गणित, विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी में रुचि रखता है, को मेन्टोर शिक्षक नियुक्त किया जा सकेगा।
7. प्रति विद्यालय विज्ञान एवं गणित सर्कलों में समन्वय एवं गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु वरिष्ठतम अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक/व्याख्याता को समन्वयक नियुक्त किया जाए जो विभिन्न गतिविधियों के निर्धारित अवधि में संचालन, मॉनिटरिंग, समन्वय के साथ गणित एवं विज्ञान सर्कल अन्तर्गत आयोजित विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों का रिकार्ड संधारित करवाने हेतु उत्तरदायी होगा।
8. राशि का व्यय गतिविधियों हेतु Stationary Model, Chart आदि के उपकरणों का क्रय करने, आवश्यकता होने पर विद्यालय से छात्रों को विज्ञान मॉडलों/वर्कशॉप/सेमिनार में भाग लेने के यात्रा व्यय एवं गतिविधियों के आयोजन पर आवश्यक प्रासंगिक (Contingent) व्यय किया जायेगा।
9. मेन्टोर शिक्षक द्वारा विज्ञान एवं गणित सर्कल की बैठकों/गतिविधियों का अभिलेख रजिस्टर संधारित किया जायेगा।
10. एडीपीसी ऑफिस द्वारा मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि प्रबंध पोर्टल पर की जाये।
11. समस्त गतिविधियों के फोटोग्राफ विद्यालयों द्वारा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे।
12. विज्ञान एवं गणित सर्कल के प्रभारी शिक्षक (मेंटर टीचर) द्वारा दिशा निर्देश जारी होने के उपरान्त शीघ्र ही गतिविधियों की टाईमलाइन तय की जाएगी तथा दिसम्बर माह तक समस्त गतिविधियाँ पूर्ण कर ली जायेंगी।

गतिविधि हेतु बजट प्रवधान निम्नानुसार अनुमोदित है

क्र.सं.	कक्षा 6 से 12 के लिए	पीएमश्री उच्च प्राथमिक		पीएमश्री उच्च माध्यमिक		क्रियान्वयन का स्तर
		विज्ञान सर्कल का गठन	गणित सर्कल का गठन	विज्ञान सर्कल का गठन	गणित सर्कल का गठन	
1	Physical	79 विद्यालय	79 विद्यालय	549 विद्यालय	549 विद्यालय	विद्यालय स्तर पर
2	No of Circle	144	144	1757	1757	
3	Unit Cost	0.05	0.05	0.05	0.05	
4	बजट प्रावधान रु. लाखों में	7.20	7.20	87.85	87.85	

एक्सपोजर विजिट

शैक्षिक भ्रमण शिक्षा को रोचक बनाने एवं विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने का उत्तम माध्यम है। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ने के साथ-साथ वास्तविक जीवन में वस्तुओं को देखेंगे तो बेहतर ढंग से विषयों के प्रति उनकी समझ विकसित होगी। लम्बे समय तक वस्तुस्थिति को याद रख पाएँगे। शैक्षिक भ्रमण विद्यार्थियों में गहन चिन्तन, अन्वेषण, नवाचार एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा तथा विषय के बारे में अलग से स्पष्ट अवधारणा विकसित होगी एवं सोचने के नवीन अवसर मिलेंगे। राज्य में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपने परिवार के साथ विशिष्ट क्षेत्रों के भ्रमण में उतना अनुभव नहीं मिल पाता जितना विद्यार्थियों के समूह में शैक्षिक भ्रमण के दौरान प्राप्त होता है।

शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य:-

1. सग्रहालयों तथा शोध एवं अन्वेषण केन्द्रों के भ्रमण से विद्यार्थियों में विज्ञान, गणित एवं प्रौद्योगिकी की गहरी समझ विकसित होगी।
2. इससे विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता, नेतृत्व, सम्प्रेषण, समूह कौशल आदि का विकास होता है तथा वे अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को समझ पाते हैं।
3. शैक्षिक भ्रमण; विद्यार्थी जो कक्षा में सीखता है, उसे प्रत्यक्ष रूप से देखकर, छूकर एवं अनुभव से सहज तरीके से स्थाई रूप से सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
4. शैक्षिक यात्राएं विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के सन्दर्भ में विषयों के अनुभव के साथ कक्षा में सीखी गई अवधारणाएं वास्तविक दुनिया में कैसे लागू होती हैं, सीखने में सहायता करेंगी।
5. शैक्षिक भ्रमण विद्यार्थियों में जुनून व रुचियों को आगे बढ़ाने में प्रेरित करता है, जिससे वे कैरियर पथ एवं अध्ययन क्षेत्रों की खोज कर सकते हैं। जैसे किसी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र की यात्रा किसी विद्यार्थी को वैज्ञानिक एवं अभियन्ता बनने के लिए प्रेरित कर सकती है।
6. विद्यार्थियों के सामाजिक एवं भावात्मक विकास के साथ वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से परिचित कराते हुए उनमें नव कौशल एवं रुचियों को विकसित करती हैं।
7. विद्यार्थियों को विषय से जुड़ने एवं तर्कशक्ति के विकास के अवसर प्राप्त होंगे।
8. विद्यार्थी समूह में भ्रमण कर सभी के साथ समन्वय स्थापित करना सीखेंगे।
9. विद्यार्थी भ्रमण से विज्ञान, गणित एवं प्रौद्योगिकी के ज्ञान को अनुभव के साथ समन्वय कर पाएँगे।

भ्रमण का क्रियान्वयन

1. 79 पीएमश्री उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 6 से 8 के कुल 30 विद्यार्थियों (प्रत्येक कक्षा से 10 विद्यार्थी) का चयन करते हुए एक विद्यालय से अधिकतम 30 विद्यार्थियों का चयन किया जाना है।
2. यदि किसी कक्षा में 10 से कम नामांकन है तो ऐसी स्थिति में अन्य कक्षाओं से विद्यार्थियों को समायोजित की जाए।
3. 549 पीएमश्री उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 6 से 12 के कुल 50 विद्यार्थियों (प्रत्येक कक्षा से 7/8 विद्यार्थी) का चयन करते हुए एक विद्यालय से अधिकतम 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाना है।
4. कक्षा 6 से 12 के विज्ञान व गणित विषय के औसत अंकों के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाए।
5. भ्रमण के लिये सभी विद्यार्थी निर्धारित गणवेश एवं परिचय पत्र के साथ भ्रमण पर जायेंगे। भ्रमण दल प्रभारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परिचय पत्र भ्रमण प्रारम्भ होने से भ्रमण समाप्त होने तक विद्यार्थियों के गले में प्रदर्शित रहे।

परिचय पत्र का प्रारूप

विद्यार्थी का नाम :

पिता का नाम :

पिता का मोबाइल नम्बर :

विद्यालय का नाम

जन्म तिथि :

ब्लॉक एवं जिला :

1. भ्रमण पर जाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से अनिवार्य रूप से लिखित में सहमति प्राप्त की जायेगी।
2. परिषद् स्तर से भुगतान स्वीकृति जारी होने तथा राशि हस्तान्तरण उपरान्त ही इस गतिविधि के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जाए।
3. इस गतिविधि के संबंध में योजना का निर्माण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक की सहमति से किया जायेगा।
4. विद्यालय द्वारा चयनित विद्यार्थियों की सूची मय भ्रमण की तिथि एवं स्थान के साथ जिले के जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय एवम् सम्बन्धित ब्लॉक कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित की जाए।
5. स्थान का चयन औचित्यपूर्ण तरीके से किया जाए।
6. पीएमश्री उच्च प्राथमिक विद्यालय से 15-15 विद्यार्थियों के दो दल एवं पीएमश्री उच्च माध्यमिक विद्यालय से 25-25 विद्यार्थियों के दो दल बनाए जाएंगे।
7. प्रत्येक दल में संयोजक ब्लॉक का प्रभारी आरपी एवं दो शिक्षक (विज्ञान एवं गणित के शिक्षक) (एक महिला एवं एक पुरुष शिक्षक) विज्ञान व गणित शिक्षक नहीं होने की स्थिति में अन्य शिक्षकों का चयन किया जा सकता है। इस प्रकार कुल तीन सदस्यीय प्रभारी दल विद्यार्थियों के साथ रहेंगे।
8. भ्रमण में छात्रा का चयन होने पर प्रभारी दल में एक महिला शिक्षिका का होना अनिवार्य है।
9. बालिकाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित की जावे।
10. विद्यालय द्वारा भ्रमण दल के लिए ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था, चाय नाश्ता, भोजन एवं दल प्रभारियों की नियुक्ति की उचित व्यवस्था की जाए।
11. भ्रमण एक दिवस का होगा।
12. राज्य के चयनित 628 पीएमश्री राजकीय विद्यालयों (यूडार्ईस 2023-24) की कक्षा 6 से 12 के 29820 विद्यार्थियों के लिए जिले में शैक्षिक भ्रमण 16 अगस्त, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक आयोजित किया जाना है। इस संबंध में जिलेवार बजट व विद्यालयों की संख्या की सूची **परिशिष्ट स एवं द** पर संलग्न है।

गतिविधि हेतु बजट प्रवधान निम्नानुसार अनुमोदित है

कक्षा 6-12 के लिए

(राशि लाख रूपयों में)

क्र.सं.	गतिविधि	Physical	Unit Cost in lac	बजट प्रावधान रु.	क्रियान्वयन का स्तर
1.	राज्य के भीतर विद्यार्थियों के लिये भ्रमण (79 उच्च प्राथमिक x 30 विद्यार्थी)	2370 (विद्यार्थी)	0.005	11.85	विद्यालय स्तर
2.	राज्य के भीतर विद्यार्थियों के लिये भ्रमण (549 उच्च माध्यमिक x 50 विद्यार्थी)	27450 (विद्यार्थी)	0.005	137.25	विद्यालय स्तर
कुल				149.10	

चयन – विद्यार्थियों के चयन के मापदण्ड निम्नानुसार रहेंगे

1. प्रत्येक जिले से विज्ञान एवं गणित विषय के अंको के औसत के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा, जिसमें वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा।
3. भ्रमण के लिये सभी विद्यार्थी निर्धारित गणवेश एवं परिचय पत्र के साथ भ्रमण पर जायेंगे। भ्रमण दल प्रभारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परिचय पत्र भ्रमण प्रारम्भ होने से भ्रमण समाप्त होने तक विद्यार्थियों के गले में प्रदर्शित रहे।
4. भ्रमण पर जाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से अनिवार्य रूप से लिखित में सहमति प्राप्त की जायेगी।

भ्रमण स्थल :

1. जिला/निकटतम जिला के प्रतिष्ठित उच्च शैक्षणिक संस्थानों का भ्रमण कराया जायेगा।
2. आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित उच्च अध्ययन संस्थानों का भ्रमण करवाया जाये।
3. विज्ञान पार्क, मेट्रो ट्रेन, टेक्नो हब, विज्ञान संग्रहालय, वेधशाला आदि।
4. उदाहरणार्थ:— जयपुर जिले में भ्रमण योग्य स्थलों में भामाशाह टेक्नोहब, बी.एम. बिडला प्लेनेटेरियम, विज्ञान पार्क, तथा झालाना सफारी नेचर पार्क, मेट्रो ट्रेन वेधशाला जैसे स्थानों के भ्रमण को प्राथमिकता दी जाए।
5. प्राविधित बजट को ध्यान में रखते हुए जिला/अन्तर जिले में भ्रमण का कार्यक्रम तैयार करें।

रिपोर्ट :

1. जिला/निकटतम जिला में जाने वाले भ्रमण दल, भ्रमण की रिपोर्ट तैयार कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से परिषद् कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
2. रिपोर्ट में भ्रमण स्थल की दूरी, यातायात का साधन, दल प्रभारी का नाम, विद्यार्थियों की सूची, भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों से प्राप्त अनुभव व फोटोग्राफ आदि का विवरण संलग्न किया जायेगा।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात शिक्षाविद/विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन/परामर्श

शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रमुख विद्वानों एवं प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ बातचीत महत्वपूर्ण है। किसी को सलाह/मशवरा देने या निर्देश देने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन/परामर्श के रूप में जाना जाता है। यह विद्यार्थियों के प्रदर्शन और क्षमता को अधिकतम करने के साथ-साथ उनके कौशल को विकसित करने तथा गणित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि जाग्रत करने में महत्वपूर्ण है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परामर्श प्रक्रिया छात्रों को पेशेवर लक्ष्यों की पहचान तथा उन्हें प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है।

विज्ञान-प्रौद्योगिकी और गणित के क्षेत्र में परामर्श और मार्गदर्शन छात्रों को वैज्ञानिक कौशल और ज्ञान में कमियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने में मदद करता है। इस उद्देश्य के लिए इसरो, आईआईटी, एनआईटी, एआईआईएमएस, आईआईआईटी प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा उच्च रैंक वाले विश्वविद्यालयों से प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को बुलाया जाए। इस उद्देश्य के लिए प्रतिष्ठित विशेषज्ञों (राष्ट्रीय) द्वारा परामर्श की लागत प्रति विद्यालय राशि 5,000 रुपये और अंतरराष्ट्रीय प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा परामर्श/मार्गदर्शन हेतु प्रति विद्यालय राशि 10,000 रुपये अनुमोदित है।

उद्देश्य :-

1. विशेषज्ञों द्वारा चर्चा एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धी गतिविधि है, जिन्हें सुनकर विद्यार्थियों में गणित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बौद्धिक चेतना एवं वैज्ञानिक अन्तर्दृष्टि का विकास होता है तथा उन्हें नये-नये अवसरों की जानकारी मिलती है।
2. विद्यार्थियों को विज्ञान-गणित तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस स्तर पर कोई जानकारी होती है तो बड़े होकर वे उत्तम कैरियर के अवसरों को शीघ्र समझ पाएंगे।
3. एक से अधिक विद्यालय सामुहिक रूप से भी उक्त गतिविधि को सम्पादित करवा सकते हैं।
4. अलग-अलग विशेषज्ञों के परामर्श सुनकर विद्यार्थी अपनी रुचि के विषय पर अधिक गहराई तक सीख सकता है तथा उन्हें विज्ञान-गणित एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कैरियर के नये क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त होती है।
5. चर्चा/मार्गदर्शन एक आनन्ददायी गतिविधि है, जिसमें किसी टॉपिक पर सुनने में पढ़ने से कम समय लगता है तथा सुनकर अधिक समय तक याद रखा जा सकता है साथ ही उनमें तार्किक सोच एवं उमंग का विकास होता है।
6. विशेषज्ञों की चर्चा/परामर्श से विद्यार्थियों में धैर्य पूर्वक सुनने, प्रश्न करने तथा अपनी बात को सही ढंग से समझा पाने की समझ विकसित होती है साथ ही उनमें तर्कशक्ति एवं सम्प्रेषण कला का विकास होता है।
7. विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है और विज्ञान-गणित तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान में अभिवृद्धि होती है।
8. विद्यार्थियों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की नई संस्थाओं, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नवीन शोध की जानकारी मिलती है।

गतिविधियाँ :- गतिविधि का आयोजन **चयनित 549 पीएमश्री विद्यालयों** में किया जाएगा। **(परिशिष्ट-य एवं र के अनुसार)** एवं विषय विशेषज्ञों के साथ विज्ञान, तकनीकी एवं गणित के मुद्दों पर सार्थक परिचर्चा व विचार विमर्श करना है इसलिए ऐसी कई उपगतिविधियाँ इस संदर्भ में आयोजित करवाई जा सकती हैं –

1. विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में हुए नवाचार पर विचार विमर्श।
2. विज्ञान व गणित के क्षेत्र में नवीन शिक्षण शास्त्र व शिक्षण उपागमों पर परिचर्चा।
3. विषय विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों को कैरियर चयन संबंधी मार्गदर्शन।

4. प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्वानों द्वारा प्रतियोगी परीक्षा जैसे आईआईटी एवं एनआईटी आदि की तैयारी के लिए मार्गदर्शन।
5. प्रख्यात शिक्षाविदों द्वारा वर्तमान शैक्षिक विमर्शों जैसे विज्ञान शिक्षा में समावेशन, समता, नवाचार, अन्वेषण इत्यादि पर मार्गदर्शन।
6. विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग संबंधित व्याख्यान और मार्गनिर्देशन प्रदान करना।
7. गणित-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित किसी अन्य बिन्दु पर परामर्श/मार्गदर्शन।
8. उपरोक्त गतिविधि सितम्बर, 2025 से जनवरी, 2026 के मध्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

गतिविधि हेतु बजट प्रावधान निम्नानुसार अनुमोदित है

	पीएमश्री उच्च माध्यमिक स्तर		क्रियान्वयन का स्तर
कक्षा 6 से 12 के लिए	राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात शिक्षाविद/ विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन/ परामर्श	अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात शिक्षाविद/ विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन/ परामर्श विद्यालय	
Physical	549 विद्यालय	549 विद्यालय	विद्यालय स्तर पर
Unit Cost in lac	0.05	0.10	
बजट प्रावधान रु. लाखों में	27.45	54.90	

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

1. प्रत्येक गतिविधि के समापन के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र 15 दिवस के अन्दर जिले द्वारा परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा एवं व्यय पीएमएस पोर्टल पर उसी माह में दर्ज किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में मय बचत राशि के प्रस्तुत करवाये जायेंगे।

गतिविधियों की मॉनिटरिंग

- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय/सीबीईओ/पीईईओ द्वारा नियमित रूप से राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की समस्त गतिविधियों की मॉनीटरिंग की जाए।

लेखा संबंधित निर्देश

- जिस मद में राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में किया जावे।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देश, एमओई गार्ड लाइन एवं लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- पीएमश्री के तहत राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की समस्त गतिविधियां जनवरी, 2026 तक पूर्ण की जायें।

बजट मद

Major Recommendation Component Name	Sub Component Name	Activity Name
Curriculum, Pedagogy and Assessment	Rashtriya Aavishkar Abhiyaan	Rashtriya Aavishkar Abhiyan (Class VI - XII)

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की गतिविधियों के क्रियान्वयन की टाइम लाइन निम्नानुसार है –

1	विद्यालय में विज्ञान सर्कल	अगस्त 2025 – दिसम्बर 2025	विद्यालय स्तर पर
2	विद्यालय में गणित सर्कल	अगस्त 2025 – दिसम्बर 2025	विद्यालय स्तर पर
3	राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात शिक्षाविद्/विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन/परामर्श	सितम्बर 2025 – जनवरी 2025	विद्यालय स्तर पर
4	अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात शिक्षाविद्/विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन/परामर्श	सितम्बर 2025 – जनवरी 2025	विद्यालय स्तर पर
5	एक्सपोजर विजिट	16 अगस्त 2025 – 31 दिसम्बर 2025	विद्यालय स्तर पर
6	विज्ञान मेला एवं विज्ञान गणित प्रश्नोत्तरी	सितम्बर 2025 तक या जिला स्तरीय विज्ञान मेले के आयोजन से पहले	विद्यालय स्तर पर

- * अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्/विशेषज्ञ का परामर्श/मार्गदर्शन दो या अधिक विद्यालयों द्वारा क्लब करके भी करवाया जा सकता है।

Activity calendar with timeline RAA: 2025-26

Sub-Activities	Apl	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
Science Circle					Y	Y	Y	Y	Y			
Maths Circle					Y	Y	Y	Y	Y			
Mentoring by National level Eminent expert						Y	Y	Y	Y	Y		
Mentoring by International level Eminent expert						Y	Y	Y	Y	Y		
Exposure Visist					Y	Y	Y	Y	Y			
Science fair and Science-Math quiz				Y	Y	Y						

(अनुपमा जोरवाल)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : प.()/रास्कूशिप/जय/ RRA/ पीएम श्री दिशा-निर्देश / 2025-26/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, समग्र शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निजी सहायक, निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम/द्वितीय समग्र शिक्षा, जयपुर।
6. अति० निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. जिला प्रभारी, समस्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
11. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
12. प्रधानाचार्य, डाइट, समस्त जिले।
13. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
14. UCEE0/PEEO, समस्त।
15. कार्यालय प्रति।